[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.)
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में. –

(क) नियम 2 में, -

(i) उपनियम (ख) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए उत्पादक को आयातक या निर्यातक से तभी संबंधित समझा जाएगा यदि,-

(क) उनमें से एक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे को नियंत्रित करता है; या
(ख) उनमें से दोनों पर-व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रित हैं; या
(ग) वे एक साथ इस शर्त के अधीन रहते हुए पर-व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रित करते हैं कि यह विश्वास करने या संदेह करने के आधार हैं कि संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उत्पादक गैर-संबंधी उत्पादकों से भिन्न व्यवहार कर सकें ।"

टिप्पण – इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, एक उत्पादक को दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण करने वाला समझा जाएगा जब पहले वाला, बाद वाले पर वैधतः या प्रचालनात्मक रूप से अवरोध उत्पन्न करे या निदेश देने की स्थिति में है ।"

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(घक) "अन्वेषण की अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान पाटन के अस्तित्व की परीक्षा की जाती है ।';

(ख) नियम 22 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3). सहकारी गैर-नमूना निर्यातकों या उत्पादकों के लिए पहले से ही अधिरोपित प्रति पाटित शुल्क का विस्तार ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों के लिए किया जाएगा जिनका आरंभतः अन्वेषण नहीं किया गया था ।"

स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण की अवधि,-

(i) अन्वेषण के आरंभ की तारीख से छह मास से अन्यून की नहीं होगी।

(ii) बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहीत प्राधिकारी न्यूनतम छह मास या अधिकतम अठारह मास पर विचार कर सकेगा।'';

(ग) नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"25**.** प्रति पाटित शुल्क परिवंचन – (1) परिवंचन किसी देश और भारत के बीच या किसी देश की व्यक्तिगत कंपनियों और भारत के बीच ऐसे उपायों के अधीन रहते हुए व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रुप में परिभाषित किया जाएगा, जो ऐसी पद्धति, प्रक्रिया या कार्य से उदभूत होता है जिसके लिए अपर्याप्त कारण या शुल्क के अधिरोपण से भिन्न आर्थिक औचित्य नहीं है, और जहां क्षति का साक्ष्य है या यह कि समान वस्तु की कीमत या मात्रा या दोनों के कारण शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कम आंका जा रहा है; और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्वतर स्थापित सामान्य मूल्यों के संबंध में पाटन का साक्ष्य है वहां यदि आवश्यक हो, समुचित परिवर्तन या समायोजित या नियम 10 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पद्धति, प्रक्रिया या कार्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सम्मिलित करता है:-

(क) जहां प्रति पाटित शुल्क के अधीन किसी वस्तु को, प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातक देश सहित किसी देश से भारत में एकत्ररहित, अपरिष्कृत या अपूर्ण रूप में आयातित किया जाता है और भारत में या किसी अन्य देश में एकत्रित, परिष्कृत और संपूरित किया जाता है, तो ऐसे एकत्रीकरण, परिष्करण और संपूरण को प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क का परिवंचन समझा जाएगा यदि, -

(i) प्रचालन, प्रति पाटित शुल्क अन्वेषण के पश्चात् या ठीक पूर्व आरंभ किया गया या बढ़ाया गया और उनके भाग और संघटकों का आयात प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातित देश से किया गया है; और

(ii) एकत्र करने या पूर्ण प्रचालन के दौरान लाए गए इनपुट के लिए वर्धित मूल्य विनिर्माता लागत के 35% से कम है :

परन्तु यह कि प्रौद्योगिकी जैसे पेटेंट, कापीराइट, ट्रेडमार्क, रायल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्श प्रभार आदि के उपापन के लिए अतिरिक्त मूल्य, व्यय की गणना, लाए गए भागों के मूल्य के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण I. – 'मूल्य' से एकत्रित, संपूरित या परिष्कृत वस्तु की लागत में से आयातित भागों या घटकों का मूल्य घटाकर अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण ॥. 'मूल्य' की संगणना के प्रयोजनों के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार, रायल्टी, तकनीकी जानकारी, फीस और परामर्श प्रभार से संबंधी संदाय पर हुए व्ययों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(ख) जहां प्रति पाटित शुल्क किसी वस्तु का आयात, उस वस्तु के विवरण, नाम या मिश्रण के परिवर्तन जैसी प्रक्रिया के पश्चात् प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातित देश से भारत में किया जाता है, और वस्तु के विवरण, नाम या मिश्रण के इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु के रूप या प्ररुप में अलग रूप से परिवर्तन हो जाता है और उससे हुए किसी टैरिफ वर्गीकरण के परिवर्तन की परवाह न करते हुए, वहां ऐसे परिवर्तन को प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क का परिवंचन समझा जाएगा ।

(ग) जहां प्रति पाटित शुल्क के अधीन किसी वस्तु का आयात प्रति पाटित शुल्क के अधीन न रहते हुए निर्यातक या उत्पादक या देश के माध्यम से भारत में किया जाता है तो ऐसे निर्यात को प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क का परिवंचन समझा जाएगा, यदि प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित निर्यातक या उत्पादन प्रति पाटित शुल्क के अधीन न रहने वाले निर्यातक या उत्पादक या देश के माध्यम से अपने उत्पादों भारत को निर्यात करने के लिए अपनी व्यापार पद्धति, व्यापार पैटर्न या विक्रय चैनल में परिवर्तन करते हैं ।

(घ) कोई अन्य रीति जहां प्रति पाटित शुल्क इस प्रकार अधिरोपित किया गया है, निष्प्रभावी किया जाता है ।";

(घ) उपाबंध 2 में पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) ऐसे मामले में जहां किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देश से प्रति पाटित अन्वेषण के अध्यधीन समसामयिक रूप से किया जा रहा है, अभिहीत प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव की पहुंच संचयी रूप से होगी, केवल जब उसे निर्धारित किए जाने पर कि, -

(क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित किए गए पाटन का पार्श्व निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त किया गया हो तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा वैसी वस्तु के आयात की तीन प्रतिशत है अथवा जहां व्यष्टिक राष्ट्रों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वैसी ही वस्तुओं का आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए आयात की गणना सामुहिक रूप से की जाएगी और;

(ख) आयात के प्रभाव का संचयी निर्धारण आयात किए गए उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की दशा को ध्यान में रखते हुए और आयात किए गए उत्पादकों और वैसी ही घरेलू उत्पाद के मध्य प्रतिस्पर्धा की दशा में उचित है ।"।

[फा. सं.334/2/2020-टी.आर.यू.]

(गौरव सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार

टिप्पण – मूल नियम अधिसूचना सं. 2/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 को अधिसूचित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 1(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 6/2012-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 19 जनवरी, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 36(अ) तारीख 19 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।